न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी	:::	सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	23/2020
सरकार	बनाम	मनोहरलाल पुत्र नोरंगलाल, जाति–ब्राम्हण, निवासी– पिचानवा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 25.06.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मनोहरलाल पुत्र नोरंगलाल, जाति–ब्राम्हण, निवासी– पिचानवा द्वारा रोही मौजा पिचानवा की राजकीय भूमि ख.नं. 200 कुल रकबा 15.40 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर नींव खोदकर एवं पत्थर इत्यादि डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने जरिये अभिभाषक भारत भूषण शर्मा जवाब नोटिस पेश किया किया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल की ओर से प्रस्तुत जबाव में उसने ग्राम पिचानवा के ख.नं. 200 पर अपना कोई अतिक्रमण नही होना बताया। अतः प्रार्थना पत्र के संबंध में भू.अ.नि. स्वामीसेही से जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट भू.अ.नि. जिसमें गैर सायल का अतिक्रमण ख.नं. 200 में नही होकर ख. नं. 198 रकबा 2.69 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में होना बताया है। चूंकि गैर सायल को अतिक्रमण प्रश्नगत पत्रावली में उल्लेखित भूमि ख.नं. 200 में नही होने के कारण कार्यवाही ड्रोप की जाती है। गैर सायल मनोहरलाल के विरूद्ध भू.अ.नि. स्वामीसेही की रिपोर्ट के मुताबिक ख.नं. 198 रकबा 2.69 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में किये गये अतिक्रमण की पटवारी हल्का द्वारा पृथक से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़